

न्यायालय जिला कलक्टर भरतपुर

प्रार्थना पत्र/मुक्त./2025/18

कमलेश पत्नि ताराचन्द जाति ब्राह्मण निवासी वोकोली तहसील रूपवास जिला भरतपुर

.....प्रार्थी

बनाम

1. विष्णु बंसल उपखण्ड अधिकारी रूपवास
2. सौरभ पुत्र कान्ता प्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी वोकोली तहसील रूपवास जिला भरतपुर

..... गैरअप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र मुक्तकिली विरुद्ध श्री विष्णु बंसल उपखण्डाधिकारी रूपवास व सिलसिले मुकदमा प्रा0 पत्र धारा 136 एल.आर. एक्ट मुकदमा संख्या 23/2024 उनवानी सौरभ बनाम सरकार

उपस्थित:-

1. श्री जीतेन्द्र कुमार कर्दम अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री कृष्ण कुमार सिंघल अभिभाषक अप्रार्थीयान- 2

आदेश

दिनांक 29.10.2025

प्रार्थी द्वारा यह मुक्तकिली प्रार्थना पत्र विरुद्ध गैरप्रार्थीयान व खिलाफ उपखण्डाधिकारी रूपवास इस आशय का पेश किया गया, संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि न्यायालय उपखण्डाधिकारी रूपवास के यहाँ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट मुकदमा संख्या 23/2024 उनवानी सौरभ बनाम सरकार पेश किया गया था। प्रार्थी का आरोप है कि उपखण्डाधिकारी रूपवास द्वारा मुकदमा में नजदीक तारीख पेशी दी जा रही है। अप्रार्थी0 द्वारा न्यायालय परिसर के बाहर प्रार्थी को धमकी दी कि न्यायालय में लम्बित प्रार्थना पत्र को अपने पक्ष में फैसला कराने के सम्बन्ध में उनकी पीठासीन अधिकारी से बातचीत हो गई हैं। प्रार्थीया ने भी अप्रार्थी0 को पीठासीन अधिकारी के चैम्बर से निकलते हुये देखा गया है। इससे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर न्यायालय उपखण्डाधिकारी रूपवास में लम्बित प्रार्थना पत्र अन्य किसी दीगर न्यायालय में मुक्तकिल किये जाने की प्रार्थना की है।

प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गई साथ ही उपखण्डाधिकारी रूपवास से प्रार्थना पत्र की प्रति भिजवाई जाकर टिप्पणी तलब की गई। उपखण्डाधिकारी रूपवास से प्राप्त टिप्पणी शामिल मिसिल की गई। वकील उभय पक्ष की वहस सुनी गई।

**जिला कलक्टर
भरतपुर**

.....2

योग्य अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराते हुये तर्क दिया कि गैरसायल द्वारा न्यायालय परिसर के बाहर प्रार्थीया को धमकी दी कि वह मुकदमा को न्यायालय से नजदीक की तारीख पेशी लेकर अपने पक्ष में फैसला करा लेगा जिस बाबत पीठासीन अधिकारी उपखण्डाधिकारी रूपवास से बातचीत हो गई हैं। प्रार्थीया द्वारा कई बार अप्रार्थीगण को पीठासीन अधिकारी रूपवास के चैम्बर से निकलते हुये देखा है। इस कारण प्रार्थी को उपखण्डाधिकारी रूपवास से न्याय मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे।


योग्य अभिभाषक अप्रार्थी० ने अपनी बहस के दौरान बताया कि मुन्तकिली प्रार्थना पत्र में झूठे एवं बेबुनियाद आरोप लगाये गये हैं। पीठासीन अधिकारी द्वारा पूर्ण निष्पक्ष रूप से विधिवत सुनवाई की जा रही है। उपखण्डाधिकारी रूपवास से अप्रार्थी० की कोई बातचीत नहीं है। प्रार्थी प्रार्थना पत्र का निस्तारण नहीं होने देना चाहती है। प्रार्थीया ने तहत न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण को देरीना करने के लिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र लगाया गया है। प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर गौर किया। उपखण्डाधिकारी रूपवास से प्राप्त टिप्पणी का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र मुन्तकिली में प्रार्थी ने जो आरोप लगाये हैं वे स्वीकर योग्य नहीं है क्योंकि प्रार्थी ने अपने मौखिक आरोपों के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया है। जिससे कि उनके मौखिक कथनों की पुष्टी होती हो। बिना किसी ठोस कारण के प्रार्थना पत्र मुन्तकिली स्वीकार किये जाने से तहत न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण के एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानान्तरण करने की प्रक्रिया में ही कॉफी समय बर्बाद हो जावेगा। ऐसी स्थिति में हम प्रार्थना पत्र मुन्तकिली खारिज किया जाना उचित पाते हैं।

अतः आदेश है कि :-

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र मुन्तकिली खारिज किया जाता है। निर्णय की एक प्रति उपखण्डाधिकारी रूपवास को प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 29.10.2025 को सुनाया गया।


(कमर उल जमान चौधरी)
जिला कलक्टर,
भरतपुर